सं.ई. 1014/6/2017-रा.भा. (का.)
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
राजभाषा प्रभाग

जल विंग, प्रथम तल,
इंदिरा पर्यावरण भवन,
जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
दिनांक : 01.06.2017

कार्यालय-ज्ञापन

विषय: आशुलिपिकों/टंककों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी टंकण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना।

सरकारी काम-काज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के उद्देश्य से राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 12.08.1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एफ.14012/55/76-रा.भा. (ग) में आशुलिपिकों और टंकको को प्रतिमाह प्रोत्साहन भत्ता दिए जाने की योजना का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्रोत्साहन भत्ते की प्राप्ति के लिए मंत्रालय (मुख्य), एनएईबी, एनआरसीडी और सीसीयू के वे अंग्रेजी आशुलिपिक/टंकक पात्र हैं जो अंग्रेजी टंकण/आशुलिपि जानते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी टंकण कार्य करते हैं तथा जो निर्धारित मात्रा में अर्थात हिंदी में औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन अथवा लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रति तिमाही टंकित करते हैं।

इस योजना के तहत मिलने वाले प्रोत्साहन भत्ते को वेतन नहीं माना जाता है और इसलिए प्रोत्साहन भत्ते के रूप में दी जाने वाली धनराशि पर कोई भत्ता जैसेकि मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, नगर प्रतिपूर्ति भत्ता या कोई अन्य भत्ता देय नहीं है। यदि किसी आशुलिपिक/टंकक को हिंदी आशुलिपि/टंकण के प्रशिक्षण की योजना के अंतर्गत प्रशिक्षण सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर वैयक्तिक वेतन मिल रहा है तो उसको इस योजना के अतर्गत मिलने वाले भत्ते के लाभ की तारीख से वह वैयक्तिक वेतन नही मिलेगा। जिस आशुलिपिक/टंकक को यह भत्ता दिया जाएगा उसे यह सिद्ध करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में एक प्रमाण-पत्र देना होगा कि वह अपना सरकारी टंकण कार्य दोनों भाषाओं में करता है। आशुलिपिको के मामले में यह प्रमाण-पत्र वह अधिकारी देगा जिसके साथ वह काम करते हैं और टंककों के मामले में यह प्रमाण-पत्र उनके संबंधित अवर सचिव या कार्यालय अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, द्वारा दिया जाएगा। यह प्रमाण-पत्र संबंधित आशुलिपिक/टंकक द्वारा दोनों भाषाओ में टंकण कार्य शुरू करने की तारीख से प्रथम छह महीने तक प्रतिमाह और उसके बाद प्रति तिमाही दिया जाएगा। राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय द्वारा इस विषय पर जारी अद्यतन दिनांक 06 मई, 2014 के का. ज्ञा. सं. 13014/12/2009-रा.भा. (नीति) के अनुसार, इस योजना के अंतर्गत आशुलिपिकों को 240/- रूपये प्रतिमाह और टंककों को 160/- रूपये प्रतिमाह का प्रोत्साहन भत्ता दिया जाएगा जिस पर होने वाले व्यय का वहन मंत्रालय, एनआरसीडी, एनएईबी और सीसीयू द्वारा अपने-अपने बजट प्रावधान से किया जाएगा। यह योजना दिनांक 01.04 2017 से लागू मानी जाएगी।

पर्यावरण वन, और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा सिविल निर्माण एकक के इस योजना के अतर्गत पात्र सभी नियमित आशुलिपिको/टंकको से अनुरोध है कि वे अंग्रेजी एवं हिन्दी दोनों भाषाओ मे टंकण कार्य शुरू करने की तारीख से प्रथम छह महीने तक प्रतिमाह और उसके बाद प्रति तिमाही, प्रत्येक माह की 10 तारीख तक (माह अप्रैल एवं मई-2017 के मामले मे 10 जून, 2017 तक) उप-निदेशक (रा.भा.), प्रथम तल, जल विंग, इंदिरा पर्यावरण भवन, नई दिल्ली-110003 को निर्धारित प्रपत्र (सलग्न) मे इस आशय का प्रमाण-पत्र भिजवाते रहे कि उन्होंने अपना टंकण कार्य अंग्रेज़ी एवं हिन्दी दोनों भाषाओं मे किया है। आशुलिपिक यह प्रमाण-पत्र उस अधिकारी से सत्यापित/हस्ताक्षरित करवाकर भिजवाएँ जिसके साथ वे काम करते हैं और टंकक यह प्रमाण-पत्र अपने संबंधित अवर सचिव या कार्यालय अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, से सत्यापित/हस्ताक्षरित करवाकर भिजवाएं।

(बृजभान)
उप-निदेशक (रा.भा.)

संलग्नक: प्रपत्र

सेवा में,

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मत्रालय (राष्ट्रीय नदी संरक्षण निदेशालय, राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारिस्थितिकीय विकास बोर्ड तथा सिविल निर्माण एकक सहित) के सभी नियमित आशुलिपिक और टंकक।

प्रतिलिपि:

1. सचिव (पर्या., वन एवं ज.प.) के निजी सचिव।
2. अपर सचिव (अमिता प्रसाद) के निजी सचिव।
3. संयुक्त सचिव (AS)।

(5)

"आशुलिपिकों और टंककों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी टंकण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना"
के अंतर्गत हिन्दी टंकण कार्य का विवरण प्रस्तुत करने हेतु

प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी----------, पदनाम----------
----------ने वर्ष 2017-2018 में माह----------के दौरान अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी औसतन 5 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र प्रतिदिन और/या पहली/दूसरी/तीसरी/चौथी तिमाही के दौरान लगभग 300 टिप्पणियां/प्रारूप/पत्र टंकित किए हैं।

अपने उक्त कार्य के फलस्वरूप, श्री/श्रीमती/सुश्री/कुमारी ---------- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में दिनांक 01.04.2017 से लागू "आशुलिपिकों और टंककों को अंग्रेजी के अतिरिक्त हिंदी में भी टंकण कार्य करने हेतु प्रोत्साहित करने की योजना" के अंतर्गत ----------रुपए प्रतिमाह का प्रोत्साहन भत्ता प्राप्त करने के लिए पात्र हैं।

संबन्धित अधिकारी के हस्ताक्षर, दिनांक एवं मुहर सहित

नाम.....

पदनाम.....